

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/384


दिनांक : 27.8.2019

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के बिन्दु संख्या 236, 239 एवं 275 की अनुपालना में जयपुर जिले में खोले गये 05 नवीन राजकीय महाविद्यालय व 01 राजकीय कन्या महाविद्यालय में प्रत्येक महाविद्यालय में कला संकाय में 02 वर्गों की एवं उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित नवीन विषय खोले जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है-

क्र.स.	नवीन राजकीय महाविद्यालय का नाम	विषय
1	2	3
1.	राजकीय महाविद्यालय, विराटनगर जिला जयपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, संस्कृत, लोकप्रशासन
2	राजकीय महाविद्यालय, फागी जिला जयपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, चित्रकला
3	राजकीय महाविद्यालय, बस्सी जिला जयपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, लोकप्रशासन
4	राजकीय महाविद्यालय, चाकसू जिला जयपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र
5	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़ जिला जयपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, लोकप्रशासन
6	राजकीय कन्या महाविद्यालय, किशनपोल बाजार जिला जयपुर	हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, जी.पी.ई.एम., चित्रकला, भूगोल, लोकप्रशासन, उर्दू

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



 प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
 आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
 विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा,
 राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ20(101/19)आयों/आकाशि/2019-20/384

दिनांक : 27.8.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
5. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेज कर लेख है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन विषयो की सम्बद्धता बिना विलम्ब शुल्क जारी करवाने का कष्ट करें।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक एच.आर.डी/प्रशासन कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (अकादमी) कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में प्रवेश संबंधित कार्य सम्पन्न करवाने की कार्यवाही अविलम्ब करावें।
9. प्राचार्य/ नोडल, संबंधित राजकीय महाविद्यालय।
10. वेब प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


 (डॉ. दीपाली भार्गव)
 संयुक्त निदेशक (आयोजना)